कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

फोन न0 (0135) -2713724,

संख्या–3734/XXV–12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

श्री वसीम अहमद,
हाईटेक कंप्यूटर– कोर्ट रोड़ उत्तरकाशी
उत्तराखण्ड।

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 11.12.2019 जो इस कार्यालय में दिनांक 16.12.2019 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में आप द्वारा विन्दु संख्या–1 व 2 से सम्बन्धित मांगी गयी वांछित सूचना 11 (ग्यारह) प्रतियों में संलग्न प्रेषित की जा रही है ।

इस आदेश के अर्न्तगत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्त की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक –ग्यारह प्रति।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B. S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

OC

45 प्राप्त - 16/12/19

सेवा मे

लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वचन आयोग

उत्तराखंड

विषय सूचना के अधिकार अधिनियम :, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाये:

1 कोई विधान सभा कितने समये तक सामान्य / आरक्षण / माहिला / माहिला आरक्षण हो सकती है, इसे संबंधित निदेश / आदेश / नियम / प्रविधान आदि कि सूचना मय सत्तयापित प्राति से अवगत कराया जाये ।

2 कोई विधान सभा अगर पिछड़ा क्षेत्र मे आती है तो विधान सभा सामान्य हो सकती है, इसे संबंधित निदेश / आदेश / नियम / प्रविधान आदि कि सूचना मय सत्तयापित प्राति से अवगत कराया जाये ।

विभाग का नाम - राज्य निर्वचन आयोग उत्तराखंड

आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण - 20 रुपये का पोस्टल आर्डर

गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण (यदि लागू हो) - नही

आवेदन करने कि तिथि - 11-12-2019

भवदीय

वसीम अहमद

हाईटेक कंप्यूटर- कोर्ट रोड उत्तरकाशी

उत्तराखंड पिन कोड -249193

भाग 2

स्थानों का आबंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

लोक सभा

[1][3. **लोक सभा में स्थानों का आबंटन**—लोक सभा में राज्यों को स्थानों का आबंटन और हर एक राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या वह होगी जो प्रथम अनुसूची में दर्शित है ।

4. लोक सभा में स्थानों का भरा जाना और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र— [2]* * * * *

[3][(2) राज्यों को धारा 3 के अधीन आबंटन में मिले लोक सभा में के सभी स्थान ऐसे स्थान होंगे जो राज्यों में के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे ।]

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

(4) हर राज्य, जिसको धारा 3 के अधीन आबंटन में केवल एक स्थान मिला है, एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

[4][(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो ।]

5. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 4 द्वारा निरसित ।

6. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन ।]—विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित ।

राज्य विधान सभाएं

[5][**7. विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र**-- (1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान सभा में [6][[7][उपधारा (1क), उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग)] के उपबंधों के अधीन उन स्थानों की कुल संख्या] जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे तथा उन स्थानों की, यदि कोई हों, जो राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जानी है, संख्या वह होगी जो उस अनुसूची में दर्शित है :

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैण्ड के राज्य की विधान सभा को आबंटित स्थानों की कुल संख्या [8][बावन] होगी, जिनमें से--

(क) [9][बारह स्थान] ट्यूनसांग जिले को आबंटित किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से ऐसी रीति में, जैसी राज्यपाल उस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, चुने जाएं, तथा

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 2 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 3 और धारा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1975 के अधिनियम सं0 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (1) का लोप किया गया ।
[3] 1975 के अधिनियम सं0 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 2 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 4 द्वारा (14-12-1966 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 5 और विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा मूल धाराएं 8 और 9 क्रमशः निरसित की गई थीं ।
[6] 1980 के अधिनियम सं0 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1992 के अधिनियम सं0 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) "उपधारा (1क) और (1ख)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[8] 1968 के अधिनियम सं0 61 की धारा 4 द्वारा "छियालीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1968 के अधिनियम सं0 61 की धारा 4 द्वारा "छह स्थानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(b) the remaining forty seats shall be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies in the rest of the State.

[1][(*1A*) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the total number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980), to be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies shall be thirty-two, of which—

(a) twelve seats shall be reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin;
(b) two seats shall be reserved for the Scheduled Castes of that State; and
(c) one seat shall be reserved for the Sanghas referred to in section 25A.

Explanation.—In this sub-section "Bhutia" includes Chumbipa, Dopthapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa and Yolmo.]

[2][(*1B*) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Third Amendment) Act, 1987 (40 of 1987), —

(a) [3][fifty-nine seats] shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh;
(b) fifty-five seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Meghalaya;
(c) thirty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Mizoram; and
(*d*) fifty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Nagaland.]

[4][(*1C*) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), twenty seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Tripura to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992 (38 of 1992).]

(2) Every assembly constituency referred to [5][in sub-section (1) or sub-section (*1A*)] shall be a single-member constituency.

[6][(3) The extent of each assembly constituency in all the States and Union Territories except the assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) and the extent of each assembly constituency in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland shall be as provided for in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 having regard to the provisions of sections 10A and 10B of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).]

[7]**[7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly constituencies.**—(1) Notwithstanding anything contained in section 7, in the Legislative Assembly of the State of Sikkim [deemed under the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 to be the Legislative Assembly of that State duly constituted], the total number of seats to be filled by persons chosen by direct election from Assembly constituencies shall be 32.

---

1. Ins. by Act 8 of 1980, s. 2 (w.e.f. 1-9-1979).
2. Ins. by Act 40 of 1987, s. 2 (w.e.f. 22-9-1987).
3. Subs. by Act 10 of 2008, s. 3, for "thirty-nine seats" (w.e.f. 16-4-2008).
4. Ins. by Act 38 of 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).
5. Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for "in sub-section (1)" (w.e.f. 1-9-1979).
6. Subs. by Act 10 of 2008, s. 3, for sub-section (3).
7. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

(ख) शेष चालीस स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो शेष राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्र में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे ।

[1][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 8) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है उन स्थानों की कुल संख्या जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, बत्तीस होगी जिसमें से---

(क) बारह स्थान भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित होंगे;

(ख) दो स्थान उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे; और

(ग) एक स्थान धारा 25क में निर्दिष्ट संघा के लिए आरक्षित होगा ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा में "भूटिया" के अंतर्गत चुम्बिपा, डोथ्थापा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा और योल्मो भी हैं ।]

[2][(1ख) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में, जो लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 40) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है--

(क) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए [3][उनसठ स्थान] आरक्षित होंगे ;

(ख) मेघालय राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए पचपन स्थान आरक्षित होंगे ;

(ग) मिजोरम राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनतालीस स्थान आरक्षित होंगे; और

(घ) नागालैण्ड राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनसठ स्थान आरक्षित होंगे ।]

[4][(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का 38) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए बीस स्थान आरक्षित होंगे ।]

(2) [5][उपधारा (1) या उपधारा (1क) में] निर्दिष्ट हर सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

[6][(3) अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो ।]

[7][**7क. सिक्किम की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और सभा निर्वाचन-क्षेत्र**--(1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो [संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के अधीन उस राज्य की सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है] सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 32 होगी ।

---

[1] 1980 के अधिनियम सं0 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1987 के अधिनियम सं0 40 की धारा 2 द्वारा (22-9-1987 से) अंतःस्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 3 द्वारा (16-4-2008 से) "उनतालीस स्थान" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[4] 1992 के अधिनियम सं0 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1980 के अधिनियम सं0 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) "उपधारा (1) में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 3 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1976 के अधिनियम सं0 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंतःस्थापित ।

(2) Every Assembly constituency referred to in sub-section (1) shall be a single-member constituency.

(3) In the Legislative Assembly so deemed to be duly constituted, the extent of each constituency and the reservation of seats shall be as provided for immediately before the commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975.]

The Delimiation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order

8. Consolidation of delimitation orders.— [1][(1) Having regard to all the orders referred to in sub-section (5) of section 4 and sub-section (3) of section 7 relating to the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in all States and Union Territories, except the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jharkhand, Manipur and Nagaland, made by the Delimitation Commission and published in the Official Gazette, the Election Commission shall—

(a) after making such amendments as appear to it to be necessary for bringing up-to-date the description of the extent of the parliamentary and assembly constituencies as given in such orders, without, however, altering the extent of any such constituency;

(b) after taking into account the provisions of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, as made applicable pursuant to the orders made by the President under section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) relating to delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland, and the provisions of section 10B of the said Act relating to delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State of Jharkhand,

consolidate all such orders into one single order to be known as the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 and shall send authentic copies of that Order to the Central Government and to the Government of each State having a Legislative Assembly; and thereupon that Order shall superseed all the orders referred to in sub-section (5) of section 4 and sub-section (3) of section 7 and shall have the force of law and shall not be called in question in any court.]

(2) As soon as may be, after the said Order is received by the Central Government or by the Government of a State, that Government shall cause it to be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State.

[2][(3) The consolidation under sub-section (1) of the orders referred to in sub-section (5) of section 4, or as the case may be, sub-section (3) of section 7 shall not, [3][as provided in sub-section (5) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002)], affect the representation in, and the territorial constituencies of, the House of the People or the Legislative Assembly of the State existing on the date of publication in the Gazette of India of any such order or orders as may be relevant.]

[4][**8A. Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland.**— (1) If the President is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise, he may, by order, rescind the deferment order issued under the provisions of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) in relation to that State, and provide for the conduct of delimitation exercise in the State by the Election Commission.

(2) As soon as may be after the deferment order in respect of a State is rescinded under sub-section (1), the Election Commission may, by order, determine—

(a) the parliamentary constituencies into which such State to which more than one seat is allotted in the First Schedule shall be divided;

(b) the extent of each constituency; and

(c) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

1. Subs. by Act 10 of 2008, s. 4. for sub-section (1) (w.e.f. 16-4-2008).
2. Ins. by Act 88 of 1976, s. 4.
3. Subs. by Act 10 of 2008, s. 4, for certain words.
4. Ins. by s. 5, *ibid.*

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

(3) इस प्रकार सम्यक् रूप से गठित समझी गई विधान सभा में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और स्थानों का आरक्षण वैसा ही होगा जैसा कि संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उपबंधित था।]

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश

8. परिसीमन आदेशों का समेकन--[1][(1) अरूणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए और राजपत्र में प्रकाशित समस्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग,--

(क) किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को परिवर्तित किए बिना, ऐसे संशोधन करने के पश्चात् जो ऐसे आदेशों में दिए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन को अद्यतन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ;

(ख) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क और झारखंड राज्य की संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों के अनुसरण में लागू किए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए,

ऐसे सभी आदेशों को एकल आदेश में समेकित करेगा, जो संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के नाम से ज्ञात होगा और उस आदेश की अधिप्रमाणित प्रतियां, केंद्रीय सरकार को और ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार को, जिसमें विधान सभा हो, भेजेगा ; और तदुपरि वह आदेश धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी आदेशों को अधिष्ठित करेगा और विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।]

(2) उक्त आदेश के केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह सरकार उसको, यथास्थिति, लोक सभा के समक्ष या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

[2][(3) धारा 4 की उपधारा (5) में, या यथास्थिति, धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेशों का उपधारा (1) के अधीन समेकन, [3][परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप में,] किसी ऐसे आदेश या किन्हीं ऐसे आदेशों के, जो सुसंगत हों, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान लोक सभा में या राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व को और प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा।]

[4][8क. अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन--(1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्य में विद्यमान स्थिति और दशाएं परिसीमन की कार्यवाही करने के लिए अनुकूल हैं तो वह उस राज्य के संबंध में परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क के उपबंधों के अधीन जारी आस्थगन आदेश को, आदेश द्वारा विखंडित कर सकेंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में परिसीमन की कार्यवाही किए जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

(2) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,--

(क) उन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें किसी ऐसे राज्य को, जिसे प्रथम अनुसूची में एक से अधिक स्थान आबंटित किए गए हैं, विभाजित किया जाएगा ;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 द्वारा (16-4-2008 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1976 के अधिनियम सं0 88 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

(*3*) As soon as may be after the deferment order in respect of a State is rescinded under sub-section (*1*), the Election Commission may, by order, determine—

(*a*) the assembly constituencies into which such State shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of that State;

(*b*) the extent of each constituency; and

(*c*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(*4*) Subject to the provisions of sub-section (*1*), the Election Commission shall, having regard to the provisions of the Constitution and the principles specified in clauses (*c*) and (*d*) of sub-section (*1*) of section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002) determine the parliamentary and assembly constituencies in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland in which seats shall be reserved, if any, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(*5*) The Election Commission shall,-

(*a*) publish its proposals under sub-sections (*2*), (*3*) and (*4*) with respect to any State in the Official Gazette and also in such other manner as it thinks fit;

(*b*) specify a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(*c*) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

(*d*) hold, for the purpose of such consideration, if it thinks fit so to do, one or more public sittings at such place or places in such State as it thinks fit;

(*e*) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine, by order, the delimitation of parliamentary and assembly constituencies in the State and also the constituency or constituencies in which seats shall be reserved, if any, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and cause such order to be published in the Official Gazette; and, upon such publication, the order shall have the force of law and shall not be called in question in any court and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 shall be deemed to have been amended accordingly.

(*6*) Every order made under sub-sections (*1*) and (*2*) and clause (*e*) of sub-section (*5*) shall be laid before each House of Parliament.

(*7*) Every order made under sub-sections (*1*) and (*3*) and clause (*e*) of sub-section (*5*) shall, as soon as may be after it is published under that sub-section, be laid before the Legislative Assembly of the State concerned.]

9. Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.— (1) The Election Commission may, from time to time, by notification published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned, —

[1][(a) correct any printing mistake in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 or any error arising therein from inadvertent slip or omission;

(*aa*) make such amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 as appear to it to be necessary or expedient for consolidating with that Order any notification or order relating to delimitation of Parliamentary or assembly constituencies (including reservation of seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in such constituencies) issued under section 8A of this Act or any other Central Act;]

---

1. Subs. by Act 10 of 2008, s. 6.

(3) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,--

(क) ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें ऐसे राज्य को, उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा ;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का ; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयोग, संविधान के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हैं, आरक्षित होंगे, का अवधारण करेगा ।

(5) निर्वाचन आयोग,--

(क) किसी राज्य के संबंध में, उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन अपने प्रस्तावों का प्रकाशन राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति में भी जिसे वह ठीक समझे, करेगा ;

(ख) उस तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ग) सभी आक्षेपों और सुझावों पर, विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हुए हों ;

(घ) ऐसे विचार के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसा करना ठीक समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें ऐसे राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, करेगा ;

(ङ) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का, और उस निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हों, आरक्षित रहेंगे और ऐसे आदेश राजपत्र में प्रकाशित कराएगा तथा ऐसे प्रकाशन पर आदेश, विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

(7) उपधारा (1) और उपधारा (3) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उस उपधारा के अधीन प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।]

9. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति-- (1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संपृक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर---

[1][(क) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें उद्भूत किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा ;

(कक) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उसे इस अधिनियम की धारा 8क के या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में, (जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उक्त आदेश के साथ समेकित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ;]

[1] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(b) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in the Order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date.

(2) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.]

[1] * * * * *

The State Legislative Councils

10. Allocation of seats in the Legislative Councils.— (1) The allocation of seats in the Legislative Councils of the States having such Councils shall be as shown in the Third Schedule.

(2) In the Legislative Council of each State specified in the first column of the Third Schedule, there shall be the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State, and of those seats,—

(a) the numbers specified in the third, fourth and fifth columns shall be the number of seats to be filled by persons elected, respectively, by the electorates referred to in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171;

(b) the number specified in the sixth column shall be the number of seats to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of that Assembly; and

(c) the number specified in the seventh column shall be the number of seats to be filled by persons nominated by the Governor [2]* * * of the State in accordance with the provisions of clause (5) of article 171.

[3] * * * * *

11. Delimitation of Council Constituencies.—As soon as may be after the commencement of this Act, the President shall, by order, determine—

(a) the constituencies into which each State having a Legislative Council shall be divided for the purpose of elections to that Council under each of the sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171;

(b) the extent of each constituency; and

(c) the number of seats allotted to each constituency.

Provisions as to orders delimiting constituencies

12. Power to alter or amend orders.—[4][(1)] The President may, from time to time, after consulting the Election Commission, by order, alter or amend any order made by him under [5]* * * section 11.

[6][(2) An order under sub-section (1) may contain provisions for the allocation of any member representing any council constituency immediately before the making of the order to any constituency delimited a new or altered by

1. Sections 9A and 9B omitted by the Act 10 of 2008, s. 7 (w.e.f. 16-4-2008).
2. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
3. Sub-section (3) ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 and omitted by Act 37 of 1957, s. 12.
4. S. 12 re-numbered as sub-section (1) of that section by Act 20 of 1960, s. 2.
5. The words and figures "section 6, section 9, or" omitted by Act 2 of 1956, s. 7.
6. Ins. by Act 20 of 1960, s. 2.

(ख) वहां, जहां कि उस आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी क्षेत्रीय खंड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दी जाती हैं या कर दिया जाता है, ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) इस धारा के अधीन हर अधिसूचना अपने निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लोक सभा के तथा संपृक्त राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

[1]* * * * * *

राज्य विधान परिषदें

10. विधान परिषदों में के स्थानों का आबंटन-- (1) उन राज्यों में, जिनमें विधान परिषदें हैं, ऐसी परिषदों में के स्थानों का आबंटन ऐसा होगा जैसा तृतीय अनुसूची में दर्शित है ।

(2) तृतीय अनुसूची के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान परिषद् में स्थानों की संख्या वह होगी जो उसके द्वितीय स्तम्भ में उस राज्य के सामने विनिर्दिष्ट है और उन स्थानों में से---

(क) तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तम्भों में विनिर्दिष्ट संख्याएं उन स्थानों की संख्याएं होंगी जो अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट निर्वाचक मंडलों द्वारा क्रमशः निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं;

(ख) षष्ठ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं जो उस सभा के सदस्य नहीं हैं ; तथा

(ग) सप्तम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो राज्य के राज्यपाल [2]*** द्वारा अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं ।

[3]* * * * * *

11. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन-- इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राष्ट्रपति---

(क) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें हर एक राज्य जिसमें विधान परिषद् है, उस परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में से हर एक के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभक्त किया जाएगा;

(ख) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को; तथा

(ग) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटन में मिले स्थानों की संख्या को,

आदेश द्वारा अवधारित करेगा ।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में उपबंध

12. आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति---[4][(1)] राष्ट्रपति [5]*** धारा 11 के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश को निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा समय-समय पर परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा ।

[6][(2) उपधारा (1) के अधीन के आदेश के किए जाने से अव्यवहित पूर्व जो कोई सदस्य किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस सदस्य का आबंटन उस आदेश द्वारा नए सिरे से परिसीमित या परिवर्तित किसी

---

[1] 2008 के अधिनियम सं0 10 की धारा 7 द्वारा (16-4-2008 से) धारा 9क और 9ख का लोप किया गया ।
[2] विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राजप्रमुख, यथास्थिति" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] विधि अनुकूलन (सं0 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित उपधारा (3) का 1957 के अधिनियम सं0 37 की धारा 12 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1960 के अधिनियम सं0 20 की धारा 2 द्वारा धारा 12 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
[5] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 7 द्वारा "धारा 6, धारा 9 या" शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
[6] 1960 के अधिनियम सं0 20 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

the order and for such other incidental and consequential matters as the President may deem necessary.]

13. Procedure as to orders delimiting constituencies.—[1]* * * * *

(3) Every order made under [2]* * * section 11 or section 12 shall be laid before Parliament as soon as may be after i made, and shall be subject to such modifications as Parliament may make on a motion made within twenty days from date on which the order is so laid.

[3][PART IIA
OFFICERS

13A. Chief electoral officers.—(1) There shall be for each State a chief electoral officer who shall be such officer Government as the Election Commission may, in consultation with that Government, designate or nominate in t behalf.

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the chief electoral officer sh supervise the preparation, revision and correction of all electoral rolls in the State under this Act.

[4][13AA. **District election officers.**—(1) For each district in a State, [5]***, the Election Commission shall, consultation with the Government of the State, designate or nominate a district election officer who shall be an officer Government:

Provided that the Election Commission may designate or nominate more than one such officer for a district if t Election Commission is satisfied that the functions of the office cannot be performed satisfactorily by one officer.

(2) Where more than one district election officer are designated or nominated for a district under the proviso to su section (1), the Election Commission shall in the order designating or nominating the district election officers also speci the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.

(3) Subject to the superintendence, direction and control of the chief electoral officer, the district election officer sha coordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with the preparatic and revision of the electoral rolls for all parliamentary, assembly and council constituencies within the district.

(4) The district election officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission and the chief electoral officer.]

13B. Electoral registration officers.—(1) The electoral roll [6][[7][for each parliamentary constituency in the State c Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly], each assembly constituency and eac Council constituency] shall be prepared and revised by an electoral registration officer who shall be such officer c Government or of a local authority as the Election Commission may, in consultation with the Government of the State i which the constituency is situated, designate or nominate in this behalf.

1. Sub-sections (1) and (2) omitted by Act 2 of 1956, s. 8.
2. The words and figures "section 6, section 9," omitted by s. 8, *ibid.*
3. Ins. by s. 9, *ibid.*
4. Ins. by Act 47 of 1966, s. 5 (w.e.f. 14-12-1966).
5. The words "other than a Union territory," omitted by Act 2 of 2004, s. 2.
6. Subs. by Act 103 of 1956, s. 65, for certain words.
7. Subs. by Act 47 of 1966, s. 6, for certain words (w.e.f.14-12-1966).

निर्वाचन-क्षेत्र को किए जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबंध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे ।]

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया---[1]* * * * *

(3) [2]*** धारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे ।

[3][भाग 2क

आफिसर

13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर-- (1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा ।

[4][**13कक. जिला निर्वाचन आफिसर--** (1) [5]*** किसी राज्य में हर एक ज़िले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :

परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता ।

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाएं ।

13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर-- (1) [6][[7][जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे ।

---

[1] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 8 द्वारा "धारा 6, धारा 9," शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।
[3] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 2 द्वारा "संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1956 के अधिनियम सं0 103 की धारा 65 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 6 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।